रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 1991/आषाढ़ 18, 1913
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 1991/ASADHA 18, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1991

का.नि. आ. 4. (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय में भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा में, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 192 के अधीन सेना इंजीनियर सेवा विभाग में इंजीनियर कोर के सेना अधिकारियों की पद संख्या, नियुक्तियों और प्रतिशतता से संबंधित अधिसूचित विनियम का. नि. आ. 19-ई तारीख 31 जुलाई, 1989 के अधीन रहते हुए, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा में भर्ती की पद्धति और नियुक्त व्यक्तियो की, सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (भर्ती और सेवा की शर्त) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए.— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय अभिप्रेत है।

(ग) "विभागीय अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आयोग से परामर्श करने के पश्चात् या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अनुसूची–4 में प्रत्येक पद के सामने उक्त पद पर प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है ।

(च) "ड्यूटी पद" से अनुसूची–I के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है ।

(छ) "परीक्षा" से सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा संचालित कोई सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा है ।

(ज) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ।

(झ) "श्रेणी" से अनुसूची—1 के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है ।

(ट) "सेना इंजीनियर सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989" से केन्द्रीय सरकार द्वारा सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 192 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना इंजीनियरी सेवा में इंजीनियर कोर के सेना अधिकारियों, कनिष्ठ कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के पद संख्या और प्रशिक्षण के संबंध में बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ।

(ठ) किसी श्रेणी से संबंधित "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी में दीर्घ कालिक नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित है :—

(i) सेवा के प्रारम्भिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में जेष्ठता के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली गई अवधि;

(ii) ऐसी अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में ड्यूटी पद धारण किए हुए होता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध हुआ होता ।

(ड) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(ढ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः हैं ।

(ण) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित "भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा" अभिप्रेत है ।

3. भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा का गठन —भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा के नाम से एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट पद होंगे ।

4 श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन—(1) सेवा को विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनके नाम संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) सरकार, समय-समय पर जैसा आवश्यक समझे विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में वृद्धि या कटौती कर सकेगी ।

(3) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची–1 में सम्मिलित पदों से भिन्न, ऐसे पदों को जो प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक रूप से सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य हों, उसे सेवा में सम्मिलित या सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उस नियम (3) के अधीन सेवा को समुचित श्रेणी में सेवा में सम्मिलित किया गया है, अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में जैसा उचित समझे नियुक्त कर सकेगी और उस श्रेणी में उसकी जेष्ठता सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत कर सकेगी ।

5. सेवा के सदस्य.—निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त समझे गए व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति ।

6. आरंभिक गठन:—सेना इंजीनियरी सेवा (इंजीनियर कैडर) के ऐसे सभी विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के आरम्भ की तारीख को नियमित आधार पर समूह "क" पद धारण किए हुए हैं, आरम्भिक गठन के प्रक्रम पर सेवा में तत्स्थानी पदों और श्रेणी में यथास्थिति अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण:—इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् रिक्तियां, सेना इंजीनियरी सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989 के अधीन सेना अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को छोड़कर अनुसूची-2, 3 और 4 में उपबंधित रीति से भरी जाएंगी ।

8. ज्येष्ठता:—(1) नियम 6 के अधीन किसी श्रेणी में नियुक्त समझे गए सदस्य की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के आरम्भ की तारीख को अभि-प्राप्त उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता से शासित होगी ।

परन्तु यदि उस तारीख को किसी सदस्य की ज्येष्ठता विनिश्चित अवधारित नहीं की गई है तो उसे सरकार के अधीन समरूप सेवा के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(2) ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् किसी श्रेणी में सेवा में सम्मिलित होता है, नियम 6 के अधीन उस श्रेणी में नियुक्त समझे गए व्यक्तियों से पंक्ति में नीचे होगा । ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता सेवा में जिनकी भर्ती आरम्भिक गठन के पश्चात् की जाती है, सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(3) ऊपर के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता, आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।

9. परिवीक्षा:—(1) सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी चाहे वह परीक्षा के माध्यम से कनिष्ठ काल वेतनमान पर सीधी भर्ती द्वारा या सहायक इंजीनियर समूह "ख" पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त हुआ हो, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगा ।

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी इस बाबत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा ।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई विनिश्चय पूर्व परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सम्बद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर लिखित में विनिश्चय को संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर अधिकारी को, यदि नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसे नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति पर रखा जाएगा और उसकी सम्यक् अनुक्रम में पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, उपनियम (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी रखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि परिवीक्षा की अवधि या उसमें बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अधिकारी ऐसा परिवीक्षा अवधि या उसे बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो सरकार कारणों को लेखबद्ध करके उसे यथास्थिति सेवान्मुक्त या उस पद पर जिसको वह परिवीक्षा से पूर्व धारण किए हुए था, उस पर प्रतिवर्तित या जैसा यह उचित समझे आदेश जारी कर सकेगी ।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान सरकार, उस अधिकारी से परिवीक्षा अवधि को समाधानप्रद रूप में पूरा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रम पूरा करने और ऐसी परीक्षा और प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने को (जिसमें हिन्दी परीक्षा सम्मिलित है) जैसा वह उपयुक्त समझे, अपेक्षा कर सकेगी ।

(5) परिवीक्षा की अवधि से संबंधित अन्य मामलों की बाबत सेवा के सदस्य इस बाबत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

10. सेवा का दायित्व:—(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हो कि किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए जिसमें प्रशिक्षण में बिताया गया समय, यदि कोई है, सम्मिलित है, सेवा करने का दायी होगा, परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति से,

(क) उसकी नियुक्ति से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उससे उपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, या ;

(ख) चालीस वर्ष की आयु पार करने के पश्चात् साधारणतया उपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) सेवा के सदस्यों को सेना इंजीनियरी सेवा (सेना कर्मिक) विनियम, 1989 के अधीन सेना में नियुक्त सेना अधिकारी के विरुद्ध सेना नियम के अधीन जांच न्यायालय में हाजिर होने और उसमें भाग लेने का दायी होगा । सेवा के ऐसे सदस्य जो सेना नियम से शासित नहीं होते हैं, सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियमों और अन्य उपबंधों

द्वारा शासित होगा ।

(4) सेवा का कोई सदस्य, जब कभी भी उसे इसके लिए तैनात किया जाए वृत्तिक पाठ्यक्रम में करने का भी दायी होगा ।

(5) ऐसे विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होती है ।

11. निरर्हता: , वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे ।

12. सेना अधिकारी पर लागू न होने वाले नियम :—ये नियम सेना इंजीनियरी सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989 के अनुसार सेवा वृत्ति के आधार पर नियुक्त सेना अधिकारियों को लागू नहीं होंगे, चूंकि वे अधिकारी सेना अधिनियम, 1950 (*1950 का 46*) और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे ।

13. लागू होना:— अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों को समय-समय पर यथा संशोधित सेना इंजीनियरी सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार सिविलियन और सेना अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा और कभी भी जब तक कि सरकार लिखित में विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसा विनिश्चिय न करे, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित नहीं होंगे ।

14. शिथिल करने की शक्ति:— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

15. व्यावृत्ति:— (1) इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(2) इन नियमों के अधिसूचना के पूर्व आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी किए गए स्थापन आदेशों के अधीन, की गई सभी नियुक्तियां, प्रोन्नति या पुष्टि इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

16. निर्वचन:— इन नियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो केन्द्रीय सरकार उसका विनिश्चय करेगी ।

17. निरसन—:— निम्नलिखित नियम इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं, अर्थात् :—

(1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद को लागू सेना इंजीनियरी सेवा, वर्ग-1 (भर्ती, प्रोन्नति, और ज्येष्ठता) नियम जो अधिसूचना संख्या 1581 तारीख 17 दिसम्बर, 1949 को प्रकाशित किया गया,

(2) सेना इंजीनियरी सेवा (अपर मुख्य इंजीनियर) भर्ती नियम, 1985,

(3) सेना इंजीनियरी सेवा (अधीक्षण इंजीनियर) भर्ती नियम, 1985,

(4) सेना इंजीनियरी सेवा (कार्यपालक इंजीनियर) भर्ती नियम, 1986, और

(5) सेना इंजीनियरी सेवा (मुख्य इंजीनियर) भर्ती नियम, 1989 ।

परन्तु यह कि ऐसे निरसन का, इस निरसन से पहले उपरोक्त नियमों के अधीन की गई या करने से लोप की गई किसी बात अथवा की गई किसी कार्रवाई या करने से लोप की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची 1

[नियम 2(घ), (ङ) 3 और 4(1) और (3) देखिए]

श्रेणी और वेतनमान@ @(सिविलियन अधिकारियों के लिए)	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	सिविल अधिकारियों द्वारा धारण किए जाने वाले पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
अपर महानिदेशक (7300–7600 रु.)	अपर महानिदेशक	4	1
मुख्य इंजीनियर (5900–6700 रु.)	मुख्य इंजीनियर	44	17
अपर मुख्य इंजीनियर (4500- 5700 रु. धन 400 रु. विशेष वेतन)	अपर मुख्य इंजीनियर	93	27
अधीक्षण इंजीनियर* (चयन श्रेणी) (4500-5700 रु.)	अधीक्षण इंजीनियर*	*	*
अधीक्षण इंजीनियर (सामान्य श्रेणी) (3700-5000) रु.	अधीक्षण इंजीनियर	282	141
कार्यपालक इंजीनियर (3000-4500 रु.)	कार्यपालक इंजीनियर	890	445
सहायक कार्यपालक इंजीनियर (2200-4000 रु.)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर	497	249

* ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (कार्यपालक इंजीनियर और ऊपर) का 15 प्रतिशत, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यह संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अधीक्षण इंजीनियर के कुल मंजूर पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण: 1. कार्यभार में परिवर्तन के कारण ऊपर दी गई संख्या में किसी वृद्धि या कमी की प्रतिशतता को, जहां कहीं अधिकथित, सुनिश्चित करते हुए इंजीनियर कोर के अधिकारी और सिविलियन अधिकारी बराबर-बराबर भाग पाएंगे ।

2. अतिरिक्त नियुक्तियों को, यदि धारित की गई है, संगठन की कार्य संबंधी अपेक्षाओं के कारण अस्थाई रूप में अतिरिक्त रिक्तियां माना जाएगा ।

3. अधीक्षण इंजीनियर जिन्होंने चौदह वर्ष की अन्यून नियमित समूह "क" सेवा वाले अधीक्षण इंजीनियर (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के पद पर नियुक्त के पात्र होंगे ।

4. प्रमुख इंजीनियर, निर्माण महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर (कमान और अपर मुख्य इंजीनियर (कमान) के पद सेना अधिकारियों द्वारा धारित किए जाएंगे जैसा कि सेना इंजीनियरी सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989 में अधिकथित किया गया है । तथापि, ये अधिकारी सेवा का भाग नहीं बनेंगे । सिविलियन अधिकारियों और सेना अधिकारियों द्वारा धारित किए जाने वाले पदों को समय-समय पर संशोधित सेना इंजीनियर सेवा (सेना कार्मिक) विनियम, 1989 द्वारा शासित किया जाएगा ।

अनुसूची 2

[नियम 7 देखिए]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने वाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर समूह "क" के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा—

अभ्यर्थी

(1) के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन घोषित सभी विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री, या ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं से ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा या ऐसी अर्हताएं जिन्हें सरकार द्वारा परीक्षण में प्रवेश के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त है, होनी चाहिए, और

(2) ने उस वर्ष भी पहली अगस्त को, जिस वर्ष में परीक्षा ली जाती है, बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किन्तु अठाईस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

अनुसूची 3

[नियम 7 देखिए]

भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (समूह "क") की विभिन्न श्रेणियों में अगली निम्न श्रेणी या पोषक श्रेणी में ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अर्हक सेवा

क्रम सं.	पद का नाम और वेतनमान	भर्ती की पद्धति	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति या अचयन	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4	5
1.	अपर महानिदेशक (निर्माण) (7300-7600 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसा मुख्य इंजीनियर (सिविल) जिसने 5900-6700 रु. के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।
2.	मुख्य इंजीनियर (5900-6700 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसी अपर मुख्य इंजीनियर जिसने उस श्रेणी (जे.ए.जी.) में 8 वर्ष नियमित सेवा, जिसके अंतर्गत अकृत्यकि चयन श्रेणी में की गई सेवा, यदि कोई है, भी है जिसके न हो सकने पर अपर मुख्य इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर की श्रेणियों में कुल मिलाकर 8 वर्ष का नियमित सेवा या समूह 'क' पदों पर 17 वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा अधीक्षण इंजीनियर जे.ए.जी. की श्रेणी में की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की डिग्री या समतुल्य है।

1	2	3	4	5
3.	अपर मुख्य इंजीनियर (4500–5700 रु.-धन 400 - रु. विशेष वेतन)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसा अधीक्षण इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और जिस के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है ।
4.	अधीक्षण इंजीनियर (आकृत्यिक चयन श्रेणी) (4500–5700 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	समग्र कार्यपालन, अनुभव और अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति द्वारा ।	ऐसा अधीक्षण इंजीनियर (सामान्य श्रेणी) जिसने परीक्षा वर्ष, जिसके आधार पर सदस्य की भर्ती की गई थी, के आगामी वर्ष में गणना करने पर वर्ष की पहली जुलाई को समूह "क" सेवा 14वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है ।
5.	अधीक्षण इंजीनियर (सामान्य श्रेणी) (3700–5000 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसा कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में (3000–4500 रू. के वेतनमान में) 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है ।
6.	कार्यपालक इंजीनियर (3000–4500 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	1. 66-2/3 प्रतिशत पद सहायक कार्यपालक इंजी-नियर की श्रेणी में से अचयन आधार पर भरे जाएंगे ।	ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है और उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य है ।
			2. 33-1/3 प्रतिशत पद सहायक इंजीनियर की श्रेणी में से चयन आधार पर भरे जाएंगे ।	ऐसा सहायक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है । टिप्पण : ऐसे व्यक्ति जो भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा नियम के प्रख्यान की तारीख को सहायक इंजीनियर का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा से, कार्यपालक इंजीनियरी की श्रेणी में प्रोन्नति के पात्र बने रहेंगे ।
7.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (2200–4000)	सीधी भर्ती द्वारा		रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी ।

अनुसूची-4

[नियम 2 (घ) और 7 देखिए]

भारतीय इंजीनियरी रक्षा सेवा में समूह "क" पदों के लिए प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।

क्रम सं.	पद का नाम	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)		समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
1	2	3		4
1.	अपर महानिदेशक निर्माण	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		(3) प्रमुख इंजीनियर	—सदस्य	
2.	मुख्य इंजीनियर	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		(3) प्रमुख इंजीनियर	—सदस्य	
3.	अपर मुख्य इंजीनियर	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		(3) प्रमुख इंजीनियर	—सदस्य	
4.	अधीक्षण इंजीनियर (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	(1) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) अपर महानिदेशक, इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर शाखा	—सदस्य	
		(3) उप महानिदेशक, प्रमुख इंजीनियर शाखा	—सदस्य	
5	अधीक्षण इंजीनियर	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		(3) अपर महानिदेशक, इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर शाखा	—सदस्य	
6.	कार्यपालक इंजीनियर	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		(2) संयुक्त/सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		(3) अपर महानिदेशक, इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर शाखा	—सदस्य	
		(4) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	
		टिप्पणी :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।		

[सं. 85604/सी.एस.सी सी /528/आर.आर]

एम.एम. मोखण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th July, 1991

S.R.O. 4-E.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment, and the conditions of service of persons appointed to the INDIAN DEFENCE SERVICE OF ENGINEERS in the Ministry of Defence subject to the regulations notified in S.R.O. 19-E dated, the 31st July, 1989 under section 192 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), relating to the number of posts, appointments and percentages of Army Officers of the CORPS OF ENGINEERS IN THE MILITARY ENGINEER SERVICES DEPARTMENT, namely :—

1. Short title and commencement :—These rules may be called the Indian Defence Service of Engineers (Recruitment and conditions of service) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Defence;

(c) "Departmental candidate" means a person who has been appointed on regular basis after consultation with the Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee;

(d) "Departmental Promotion Committee" means a Committee specified against each post in Schedule IV to consider promotion or confirmation in the said post;

(e) "Duty posts" means any post specified in Column 4 of Schedule I;

(f) Examination" means a Combined Competitive Examination conducted by the Commission for recruitment to various Engineering services or posts as may be notified by the Government from time to time ;

(g) 'Government' means the Government of India;

(h) "Grade" means a grade of the Service specified in Column 1 of Schedule I;

(i) "Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989" means regulations made by the Central Government in exercise of the powers conferred by section 192 of the Army Act, 1950 (46 of 1950) regarding the number of posts, appointments and percentage of the Army Officers, Junior Commissioned Officers and other ranks of the Corps of Engineers in the Military Engineer Services ;

(j) "regular service" in relation to any grade means the period of service in the grade rendered after selection according to procedure laid down by the Government for long term appointment to that grade and includes any period or periods:—

(i) taken into account for purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post.

(k) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(l) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them under clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution;

(m) "Service", means the INDIAN DEFENCE SERVICE OF ENGINEERS constituted under rule 3.

3. CONSTITUTION OF INDIAN DEFENCE SERVICE OF ENGINEERS :—There shall be constituted a service to be known as the Indian Defence Service of Engineers consisting of posts specified in Schedule I.

4. GRADE, AUTHORISED STRENGTH AND ITS REVIEW :—(1) The duty posts included in various grades of the service, their names, numbers and scales of pay shall be as specified in Schedule I.

(2) The Government may make temporary additions to or reductions from the strength of the duty posts in various grades as it may deem necessary from time to time.

(3) The Government may, in consultation with the Commission, include in or exclude from the service such posts as may be deemed to be equivalent to the posts included in the service, in status, grade, scale of pay and professional content, other than those included in Schedule I.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (3) to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as it may deem fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

5. MEMBERS OF THE SERVICES :—The following persons shall be members of the service, namely : —

(a) Persons deemed to have been appointed to the service under rule 6; and

(b) persons appointed to the service under rule 7.

6. INITIAL CONSTITUTION :—All the existing officers in the Military Engineer Services (Engineer cadre) holding Group 'A' posts on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts and grades in the service in the substantive or officiating capacity, as the case may be, at the initial constitution stage.

7. FUTURE MAINTENANCE OF THE SERVICE : –After the commencement of these rules, the vacancies, excluding the vacancies reserved for ARMY OFFICERS under the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989, shall be filled in the manner as provided in Schedules II, III and IV.

8. SENIORITY :—(1) The relative seniority of members of the service deemed to have been appointed to any grade under rule 6 shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of a member has not been specifically determined on the said date, the same shall be determined by the Government in accordance with the rules applicable to members of similar service under that Government.

(2) Officers who join the service in any grade after the commencement of these rules, shall rank below those deemed to have been appointed to the service in that grade under rule 6. The seniority of persons recruited to the service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Seniority of officers not covered by the above provisions, shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. PROBATION: –(1) Every officer on appointment to the service either by direct recruitment to the Junior Time Scale through the examination or by promotion from Group 'B' post of Assistant Engineer shall be on a probation for a period of two years:

provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard.

provided further that any decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and the decision in writing shall be communicated to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation, officers shall, if considered fit for regular appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course.

(3) If, during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for retention or if, at any time during such period of probation, or extension thereof, the Government is satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation, or extension thereof, the Government may for reasons to be recorded in writing, discharge him from the service or revert him to the post which he has been holding before his promotion, as the case may be, or pass such orders as it may deem fit.

(4) During the period of probation, the officer may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit for the purpose of satisfactory completion of period of probation.

(5) As regards other matters relating to period of probation, the members of the service shall be governed by the instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard.

10. LIABILITY FOR SERVICE:—(1) The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Any person appointed to the service, if so required, be liable to serve in any Defence Services or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any, provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of his appointment; or

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(3) The members of the service shall be liable to attend and participate in the courts of enquiry ordered under the Army rules against the army officers appointed to the service under the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989. The members of the service who are not governed by the Army rules shall be governed by the rules and other provisions as may be made applicable to them from time to time by the Government.

(4) A member of the service shall also be liable to undergo professional courses as and when he is deputed for that.

(5) The conditions of the service of the members of the service in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable to the officers of the Central Civil Services from time to time.

11. DISQUALIFICATION:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.,

shall be eligible for appointment to any of the posts specified in Schedule 1.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. RULES NOT APPLY TO ARMY OFFICERS:— These rules shall not apply to the Army Officers appointed on tenure basis in accordance with provisions of the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989, as they shall be governed by the Army Act, 1950 (46 of 1950) and the rules framed thereunder.

13. APPLICATION.—The posts specified in Schedule I are to be manned by Civilians and Army Officers in accordance with the provisions of the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989, as amended from time to time and at no time can be held by another person unless the Government so decides by specific orders in writing.

14. POWER TO RELAX.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. SAVING.—(1) Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limits and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

(2) All appointments, promotions or confirmations, made in consultation with the Commission, under Establishment orders issued from time to time before notification of these rules shall be deemed to have been made under these rules.

16. INTERPRETATION.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Central Government.

17. REPEAL:—The following rules are hereby repealed, namely:—

(1) the Military Engineer Services, Class I (Recruitment, Promotion and Seniority) Rules published vide notification No. 1581, dated the 17th September, 1949, in their application to the post of Assistant Executive Engineer;

(2) the Military Engineer Services (Additional Chief Engineer) Recruitment Rules, 1985;

(3) the Military Engineer Services (Superintending Engineer) Recruitment Rules, 1985;

(4) the Military Engineer Services (Executive Engineer) Recruitment Rules, 1986; and

(5) the Military Engineer Services (Chief Engineer) Recruitment Rules, 1989.

Provided that such repeal shall not affect anything done or omitted to be done or any action taken or omitted to be taken under the aforesaid rules before such repeal.

SCHEDULE I

[See rules 2(e), (h) 3 and 4(1) and (3)]

Grade and scale of pay@ @(for civilian officers)	Name of the post	Total number of post	Number of posts to be held by civilian officers
Additional Director General (Rs. 7300—7600)	Additional Director General	4	1
Chief Engineer (Rs. 5900—6700)	Chief Engineer	44	17
Additional Chief Engineer (Rs. 4500—5700 plus Rs. 400 as special pay)	Additional Chief Engineer	93	27
Superintending Engineer* (Selection Grade) (Rs. 4500—5700)	Superintending Engineer	*	*
Superintending Engineer (Ordinary Grade) (Rs. 3700 —5000)	Superintending Engineer	282	141
Executive Engineer (Rs. 3000—4500)	Executive Engineer	890	445
Assistant Executive Engineer (Rs. 2200—4000)	Assistant Executive Engineer	497	249

*15% of the Senior duty posts (Executive Engineer and above) subject to the condition that the number shall not exceed the total number of posts sanctioned in the Junior Administrative Grade post of Superintending Engineer.

NOTE: 1. Any increase or decrease in posts due to variation in workload from the numbers given above shall be shared equally by the Officers of the Corps of Engineers and Civilian Officers, subject to ensuring percentages wherever laid down.

2. Additional appointments, if held, shall be treated as temporarily transferred vacancies due to functional requirements of the Organisation.

3. Superintending Engineers with not less than fourteen years regular Group 'A' service shall be eligible for appointment to the post of Superintending Engineer (Non-functional Selection grade).

4. The posts of Engineer-in-Chief, Director General of Works, Chief Engineer (Command) and Additional Chief Engineer (Command) shall be held by the Army Officers as laid down in the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989. However, these officers shall not form part of the service. The number of posts to be manned by the Civilian Officers and Army Officers shall be governed by the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989 as may be amended from time to time.

SCHEDULE II

[See rule 7]

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruits to the post of Assistant Executive Engineer Group 'A' to be filled on the results of the Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate must have :

(i) a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a degree or diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognised by the Government from time to time or possesses qualifications which have been recognised by the Government for the purpose of admission to the Examination; and

(ii) attained the age of twenty years but must not have attained the age of twenty eight years on the first day of August of the year in which the examination is held.

SCHEDULE III

[See Rule 7)

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying sevice in the next lower grade or feeder grade for promotion to duty posts in the various grades of the Indian Defence Service of Engineers (Group 'A')

S. No.	Name of post and scale of pay	Method of recruitment	Whether selection Departmental Promotion Committee or non-selection	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4	5
1.	Additional Director General (Works) (Rs. 7300-7600)	By promotion	Selection	Chief Engineer (Civil) with 3 years regular service in the scale of Rs. 5900-6700.
2.	Chief Engineer (Rs. 5900-6700)	By promotion	Selection	Additional Chief Engineer with 8 years regular service in the grade (JAG) including service, if any, rendered in the non-functional selection grade failing which 8 years combined regular service in the grades of Additional Chief Engineer and Superintending Engineeror 17 years' regular service in Group A posts of which at least 4 years' regular service should be in the grade of Superintending Engineer (JAG) and possessing degree in Engineering from a recognised University or equivalent.

1	2	3	4	5
3.	Additional Chief Engineer (Rs. 4500-5700 plus Rs. 400 as special pay)	By promotion	Selection	Superintending Engineer with 3 years' regular service in the grade possessing degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering from a recognised University or equivalent.
4.	Superintending Engineer (Non-functional selection grade) (*Rs.* 4500-5700)	By promotion	By appointment on the basis of seniority based on suitability taking into account overall performance, experience matters	Superintending Engineer (Ordinary Grade) who has entered 14th year of Group A service on 1st July of the year calculated from the year following the year of Examination on the basis of which the member was recruited.
5.	Superintending Engineer (Ordinary Grade) (Rs. 3700-5000)	By promotion	Selection	Executive Engineer with 5 years' regular service (in the scale of Rs. 3000-4500) in the grade with degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University/Institution.
6.	Executive Engineer (Rs. 3000-4500)	By promotion	(i) 66-2/3% posts to be filled on non-selection basis from the grade of Assistant Executive Engineer.	Assistant Executive Engineer with 4 years' regular service in the grade with degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University/Institution.
			(ii) 33-1/3% posts to be filled on selection basis from the grade of Assistant Engineers.	Assistant Engineer with 8 yeeas regular service in the grade and possessing degree in Civil Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University/Institution.
				Note : 'Persons holding the port of Assistant Engineer on regular basis on the date of promulgation of the Indian Defence Service of Engineers Rules and, possessing diploma in Civils Mechanical or Electrical Engineering from a recognised University/Institution will continue to be eligible for promotion to the grade of Executive Engineer'.
7.	Assistant Executive Engineer (Rs. 2200-4000)	By direct recruitment		The vacancies shall filled by direct recruitment on the basis of Examination.

SCHEDULE IV

[See rule of 2(d) and 7]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation to Group 'A' posts in the Indian Defence Service of Engineers.

Sl. No.	Name of post	Group 'A' Departmental Promotion committee (for considering promotion)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)
1	2	3	4	5
1.	Additional Director General (Works)	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission—Chairman (ii) Secretary, Ministry of Defence-Member (iii) Engineer-in-Chief—Member.	Not applicable.
2.	Chief Engineer	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission—Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary, Ministry of Defence—Member (iii) Engineer-in-Chief—Member	Not applicable.
3.	Additional Chief Engineer	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission—Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary, Ministry of Defence—Member. (iii) Engineer-in-Chief—Member	Not applicable.
4.	Superintending Engineer (Non-functional Selection Grade)	(i) Joint Secretary, Ministry of Defence—Chairman (ii) Additional Director General of Engineers, Engineer-in-Chief's Branch—Member (iii) Deputy Director General, Engineer-in-Chief's Branch—Member	Not applicable.
5.	Superintending Engineer	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Joint Secretary, Ministry of Defence—Member. (iii) Additional Director General of Engr., Engineer-in-Chief's Branch—Member	Not applicable.
6.	Executive Engineer	(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Defence —Member. (iii) Additional Director General of Engineer, Engineer-in-Chief's Branch—Member (iv) Deputy Secretary, Ministry of Defence—Member.	Not applicable.

**Note: The proceedings of Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however these are not approved by the Commission, a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be held.

[No. 85604/CSCC/528/RR]

M.S. SOKHANDA, Jt. Secy. (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991